

अनवान

श्रीमती फूल कंवर पत्नी रामसिंह चुण्डावत निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा

--वादीया

बनाम

1. छोगा पिता मेघा गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. गणेश पिता चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. भैरूलाल पिता चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. मु0 रूकमणी बैवा चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. श्रीमती कमली पुत्री चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
6. श्रीमती नोसी पुत्री चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
7. श्रीमती केसी पुत्री चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
8. श्रीमती सीता पुत्री चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
9. श्रीमती बाली पुत्री चत्रभुज गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
10. माधु पिता उदेराम गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
11. सोहन पिता उदेराम गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
12. गोरीलाल पिता देवीलाल गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
13. मु0 अण्ठी बैवा देवीलाल गाडरी निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
14. मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला-भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा, मु0 गंगापुर जिला-भीलवाड़ा

--प्रतिवादीगण

--:निर्णय :-

दिनांक :-23.05.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 18.04.2017 को वादीया का वादपत्र प्राथमिकतः डिक्री किया जाकर ग्राम सालेरा पटवार हल्का सालेरा स्थित आराजी नं0 1797 रकबा 0.10 हे0, 1798 रकबा 0.33 हे0, 1799 रकबा 0.02 हे0 तथा 1802 रकबा 0.06 हे0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.51 हे0 में वादीया का 3/20 हिस्सा का आवागमन के रास्ते को दर्शाते हुए बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड के पृथक से विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये जिन्होंने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं जिनका अवलोकन किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादपत्र वादीया अन्तर्गत धार 53 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं विभाजन प्रस्तावानुसार ग्राम सालेरा स्थित भूमि पक्षकारान के नाम राजस्व अभिलेखों में निम्नानुसार अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क्रमशः.....

तहसीलदार कलकटर
(उपखण्ड.अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)


नाम खातेदार	आराजी नं०	रकबा
(1) फूल कँवर पत्नी रामसिंह चुण्डावत (राजपूत) सा.देह	1802/1	0.03 है०
	1797/1	0.02 है०
	1798/1	0.02 है०

(2) छोगा पिता मेघा 5/17, गणेश, भैरूलाल पिता चत्रभूज, मु० रूकमणी पत्नी चत्रभूज, नोसी, केशी, सीता, बाली पुत्री चत्रभूज 5/17 माधु सोहन पिता उदेराम 2/17, गोरीलाल पिता देवीलाल, अण्छी पत्नी देवीलाल 5/17, गाडरी सा० देह रहन बी.ओ.बी. शाखा गंगापुर हिस्सा गोरीलाल, अण्छी, छोगा पर बदस्तुर रहेगा।	1797/2	0.05 है०
	1798/2	0.3065 है०
	1802/2	0.03 है०

आराजी नं. 1799 रकबा 0.02 है० गे.मु. आचा पक्षकारान के सामलात में बदस्तुर रहेगी एवं रहन दर्ज रेकार्ड यथावत रहेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज०)

